Regarding need for intervention against the practice of imposing `Friday Off` as weekly holiday and rendering school name in Urdu despite being registered as Urdu School

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सर, झारखंड की स्थिति बहुत ही बुरी है। मैं जो लगातार कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है, सचमुच संविधान खतरे में है। ?(व्यवधान) आपके हिसाब से नहीं होगा। ?(व्यवधान)

सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार पैसा देती है और प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च विद्यालयों तक वह पैसा जाता है। चाहे टीचर्स हों, चाहे इस्टैब्लिशमेंट हो या मिड-डे मील स्कीम हो। लेकिन हमारे यहां एक युनीक चीज चल रही है और झारखंड हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। प्राइमरी स्कूल से उच्च विद्यालय तक, उनके नाम के पीछे, झारखंड में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, खासकर हमारे संथाल परगना में, वहां उनके नाम के पीछे उन्होंने उर्दू लिख दी है। ऐसा बगैर झारखंड सरकार या भारत सरकार के किसी नोटिफिकेशन के बिना किया गया है, ऐसा वहां किया गया है। यह सभी के समझने वाली बात है।

मीना साहब डीजीपी रहे हैं, तो वे इसके बारे में बताएं कि पूरे भारत में रविवार को छुट्टी होती है। रविवार को पूरे देश में छुट्टी होती है, लेकिन उन स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को होती है। ?(व्यवधान) वहां छुट्टी शुक्रवार को रही है और उन स्कूलों के नाम के पीछे जबरदस्ती उर्दू लिख दी गई है। इस संबंध में न भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, न झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन है, न कोर्ट का नोटिफिकेशन है, न डीसी का आदेश है और न ही वहां के शिक्षा अधीक्षक का आदेश है, तो क्या ऐसे में संविधान खतरे में नहीं है?

इसीलिए, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इतने बड़े संवैधानिक संकट के लिए अनुच्छेद 355 के तहत उनको नोटिस दीजिए। संबंधित जिले के दोषी जिलाधिकारी, जो इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर डीओपीएंडटी से कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट कराइए और जो उर्दू लिखी हुई है और जो शुक्रवार होती है, उसको अविलंब रद्द कीजिए।

यही आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है। ऐसा करके आप संविधान को बचाइए। धन्यवाद।